न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिकी/टीए/2136/2002/भरतपुर

घमण्डीसिंह पुत्र कृपासिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
1– किशनसिंह पुत्र घमण्डीसिंह
2– गोविन्दसिंह पुत्र घमण्डीसिंह
3– रेनुका पुत्री घमण्डीसिंह
4– कुंवरसिंह पुत्र घमण्डीसिंह
5– द्रोपती पुत्री घमण्डीसिंह
6– रेखा पुत्री घमण्डीसिंह
समस्त जाति कछवाहा ठाकुर निवासी धेहरी तहसील व जिला भरतपुर।

............अपीलांट्स

बनाम

1– दुलीचंद पुत्र रतन (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1. साहबसिंह पुत्र दुलीचंद
1/2. गोरधनसिंह पुत्र दुलीचंद (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/2/1. सत्येन्द्र पुत्र गोरधनसिंह
1/2/2. रेखा पुत्री गोरधनसिंह
1/2/3. राजे पुत्र गोरधनसिंह
1/2/4. गजेन्द्र पुत्र गोरधनसिंह
1/2/5. राधारानी पत्नि गोरधनसिंह
1/3. विशनसिंह पुत्र दुलीचंद
2– रामस्वरूप पुत्र रतन (मृतक) जरिये वारिसानः–
2/1. श्रीमति किशनदेई बैवा रामस्वरूप
2/2. कन्हैया पुत्र रामस्वरूप
2/3. श्रीमति प्रेमवती पुत्री रामस्वरूप
2/4. थानसिह पुत्र रामस्वरूप
3– देवीसिंह पुत्र रतन (मृतक) जरिये वारिसानः–
3/1. श्रीमति बैकुण्डी बैवा देवीसिंह
3/2. गोपालराम पुत्र देवीसिंह
3/3. श्रीमति शीला पुत्री देवीसिंह
3/4. उदयसिंह पुत्र देवीसिंह
3/5. श्रीमति सुनीता पुत्री देवीसिंह
समस्त जाति नाई निवासी सिकरोदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4– घनश्याम पुत्र रतन (मृतक) जरिये वारिसानः–

4/1. धर्मेन्द्र पुत्र घनश्याम जाति नाई निवासी सिकरोदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4/2. श्रीमति आशा पुत्री घनश्याम पत्नि चन्द्रवीर निवासी डीडवारी तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर।

4/3. श्रीमति चम्पा पुत्री घनश्याम पत्नि उदयवीर जाति नाई निवासी सिकरोदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4/4. श्रीमति लाली पुत्री घनश्याम जाति नाई निवासी सिकरोदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

समस्त जाति जाटव निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।

5— केदार पुत्र रोशन
6— द्वारका पुत्र रोशन
7— लीला पुत्र रोशन
8— प्रकाश उर्फ प्रताप पुत्र रेवत

समस्त जाति नाई निवासी सिकरोदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

9— गोपी पुत्र कमले
10—रेवत पुत्र कमले (मृतक) जरिये वारिसानः—

10/1. विशम्भर पुत्र रेवत
10/2. उदयभान पुत्र रेवत
10/3. भरमीरा पुत्री रेवत
10/4. भूरी पुत्री रेवत

11—दरब पुत्र कमले
12—श्रीमान पुत्र गोपी

समस्त जाति गर्जुर निवासी ग्राम धेहरी तहसील व जिला भरतपुर ।

............रेस्पोन्डेन्ट्स

<u>खण्ड—पीठ</u>

श्री आर.डी. मीणा, सदस्य

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>

श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स
श्री सी.पी. पाराशर, ब्रीफ होल्डर रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक 17—3—25

<u>निर्णय</u>

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–4–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट वादी घमण्डी ने रेस्पोन्डेन्ट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम धेहरी तहसील भरतपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 145 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 221 रकबा 0.98 एयर बना है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का वादी हिस्सेदार था तथा इसी हैसियत से खुदकाश्त होकर काबिज चले आ रहे थे। रेस्पोन्डेन्ट्स का पिता रतन जो नाई था, को सम्वत 2010 में लाईसेंसी की हैसियत से यह भूमि एक साल के लिए काश्त पर दी गई, लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थिति के कारण रतन ने उक्त भूमि का कब्जा काश्त सम्वत 2010 में होली के आस पास अपीलान्ट के पिता को संभला दिया था, लेकिन पटवारी ने सेटलमेन्ट विभाग में रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता रतन से साठगांठ कर गलत खातेदारी इन्द्राज रतन के नाम दर्ज करवा दिया, जबकि बिस्वेदारी उल्मूलन के दिन अपीलान्ट वादी भूमि पर शिकमी होने से वह खातेदार काश्तकार हो गया था तथा इस आधार पर अपीलान्ट वादी नियमानुसार खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है। दौराने दावा वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28–7–1990 जारी होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 ने प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 गोपी आदि को विवादित आराजी का विक्रय दिनांक 26–4–1991 को कर दिया, जिससे उनको वाद में पक्षकार बनाया गया। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अस्वीकारोक्ति आशय का जबाब दावा पेश होने पर कुल 7 तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने वाद वादी दिनांक 30–4–2001 को स्वीकार कर डिक्री कर दिया।

3– विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–4–2001 के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–4–2002 द्वारा रेस्पोडेंट्स प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 17–4–2002 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलान्ट वादी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात व साक्ष्यों का पूर्ण विश्लेषण करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था, जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट्स प्रतिवादीगण की अपील को मुख्यतः इस आधार पर स्वीकार किया है कि वादी ने महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सम्वत 2026 की जमाबन्दी पेश नहीं की है। हालांकि यह दस्तावेज विचारण न्यायालय में पेश किया गया था, लेकिन सम्भवतः सहवन से पत्रावली में शामिल नहीं हो सका। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए तथा न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज का अपेक्षित होना तथा उसका न्यायालय में पेश न किये जाने को अपील अस्वीकार करने का आधार होने का अभिमत नहीं दिया जा सकता। हस्तगत अपील सुनवाई में अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र के साथ मुतदाविया भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 प्रस्तुत की गई। अभिभाषक महोदय द्वारा इस दस्तावेज में भी अपीलान्ट्स के पिता का शिकमी दर्ज होना तथा इससे पूर्व के अभिलेख में भी इसी प्रकार के इंद्राज से अपीलान्ट्स का भूमि पर धारा 19 (1) एए के तहत खातेदारी अधिकार का दावा साबित होना बताया गया।

6— विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि सेटलमेन्ट विभाग ने अपने अधिकार से परे जाकर हमारे पक्ष में चले आ रहे इन्द्राजात को तब्दील कर रेस्पोन्डेन्ट्स को खातेदार बना दिया, इसलिए रेस्पोन्डेन्ट्स के पक्ष में गलत इन्द्राज को दुरूस्त करना चाहिए। रेस्पोन्डेन्ट्स कभी वादग्रस्त भूमि पर कब्जे में ही नहीं रहे तथा उन्होंने अपने कब्जे को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्स वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के समय से पूर्व से ही भूमि पर काबिज काश्त हैं तथा इन अधिनियमों के प्रावधान अनुसार उन्हें बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी हकूक प्राप्त हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण जैरकार रहने तथा स्थगन प्रभावी होने पर भी विक्रय पत्र सम्पादित करने से यह दस्तावेज शून्य प्रभावी है। इस दस्तावेज के आधार पर कभी कब्जा भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए अपीलान्ट्स को इस नुमाईशी विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु किसी न्यायालय में जाने की विधिवत कोई आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर सभी

तनकियों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद डिक्री किया है, जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त करने में साक्ष्यों व विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत जाकर आदेश किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोन्डेन्ट्स प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार की है, अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

7— विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट्स के पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर कभी खेवटदार काश्तकार नहीं रहे और न उनका कोई हिस्सा या कब्जा है। अपीलान्ट्स के गांव धेहरी में रेस्पोन्डेन्ट के पिता श्री रतन काश्त हेतु रहते थे और अपीलान्ट्स के पिता ने वादग्रस्त आराजी रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी रतन को नहीं बतलायी थी, बल्कि भूमि स्वयं रेस्पोन्डेन्ट रतन के कब्जे में ही थी और इंद्राज काश्त रेस्पोन्डेन्ट रतन के नाम था, जो सही था। अपीलान्ट्स के पूर्वज सम्वत 2011 से कभी वादग्रस्त आराजी पर काबिज नहीं थे तथा उनका शिकमी काश्तकार का इन्द्राज भी मौके के विपरीत था, जो अब नहीं है। जमींदारी बिस्वेदारी उल्मूलन अधिनियम के तहत अपीलान्ट्स अपने को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं हैं। वह जब वादग्रस्त आराजी को अपनी खेवट का भाग मानता था तो स्वयं का शिकमी इन्द्राज होने पर उसने इस पर ऐतराज कर इसे कलमजन क्यों नहीं करवाया। अपीलान्ट्स खुदकाश्त के आधार पर भी खातेदारी चाहता है। ऐसे में अपीलान्ट्स के भूमि पर खातेदारी की घोषणा बाबत आधार परस्पर विरोधाभासी हैं। अपीलांट्स ने पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की है। अपीलीय न्यायालय द्वारा जमाबंदी संवत् 2026 पेश न होने के अतिरिक्त वादी के अन्य आधारों पर भी विश्लेषण किया गया है। विचारण न्यायालय ने अधिकारिता क्षेत्र से परे जाकर वादी का वाद मनमाने तौर पर डिक्री किया था, किंतु अपीलीय न्यायालय ने समस्त तथ्यों, साक्ष्यों, विरचित तनकीयात व दस्तावेजातों की विस्तृत विवेचना करते हुये रेस्पोडेंट्स प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से हस्तगत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

8— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ दोनों न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का भी गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

9— न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर के समक्ष अपीलान्ट्स वादी के पिता घमण्डी द्वारा प्रस्तुत वाद घमण्डी बनाम दूलीचन्द वगैरह में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 30—4—2001 को वाद डिक्री किया गया था। दावे में वादी पक्ष द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2011—14, जमाबन्दी सम्वत 2015—18, जमाबन्दी सम्वत 2028—31 व मिलान क्षेत्रफल सेटलमेन्ट सम्वत 2043—62 प्रलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जबकि प्रतिवादीगण पक्ष ने अपने स्वामित्व, कब्जा काश्त आदि के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश न कर 3 मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय ने वाद तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन कर वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 145 हाल खसरा नम्बर 221 पर वादी का लगातार कब्जा काश्त प्रमाणित होना, प्रतिवादीगण पक्ष का कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहना, वादी का वादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2011 के पश्चात शिकमी काश्त प्रमाणित होना, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को किया गया बैनामा दावा जैरकार होने से बैनामे के आधार पर विधिवत कोई अधिकार नहीं मिलना आदि आधारों पर दावा साबित मानकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दूलीचन्द वगैरह बनाम घमण्डी में अपने विवेचन में बहक अपीलान्ट्स मुख्य बिन्दु यह माने कि जमाबन्दी सम्वत 2011—14 में अपीलान्ट्स का पिता रतन गैर मौरूसी तथा सम्वत 2016—19 में वह गैर—खातेदार दर्ज होने से उसे विधिक प्रावधानों अनुसार खातेदारी मिली थी, रतन का गैर—खातेदार होने से उसे भूमि शिकमी काश्त पर देने का अधिकार नहीं था, रेस्पोन्डेन्ट घमण्डी का रिकॉर्ड में अधिकार खुदकाश्त के रूप में दर्ज में न होने से वह धारा 29 राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। अपीलीय न्यायालय ने विवेचन में यह भी माना कि सम्वत 2026 की जमाबन्दी में शिकमी दर्ज होने पर उसे खातेदारी दी जा सकती है, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट ने यह जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है, जिसके अभाव में उसे खातेदारी देना उचित नहीं है। उपरोक्तानुसार विवेचन के साथ अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17—4—2002 से विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर दिया।

10— हस्तगत अपील में अपीलान्ट वादी द्वारा सम्वत 2024—2027 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है, जिसके इन्द्राजात अनुसार विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 145 रतन चन्द नाई की खातेदारी में दर्ज है तथा इस पर काश्त घमण्डी सिंह बतौर शिकमी साल 11 भी दर्ज है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा बताये गये इस महत्वपूर्ण

दस्तावेज में विवादित भूमि पर सम्वत 2015–18 व सम्वत 2028–31 अनुसार ही वादी घमण्डी का काबिज काश्त तथा शिकमी दर्ज होना परिलक्षित होता है।

11– वादी द्वारा दावे में उल्लेखित तथ्यों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण के क्रम में पूर्व राजस्व रिकार्ड स्थिति अनुसार वादग्रस्त भूमि सम्वत 2011–14 की जमाबन्दी में घमण्डी वगैरह का इन्द्राज जागीरदार/बिस्वेदार के रूप में होकर रतन नाई गैर मौरूसी कृषक साल 2 दर्ज है। दावे में प्रतिवादी पक्ष यह साबित नहीं कर सके हैं कि यदि रतन ग्राम सिकरोदा का निवासी था तो तत्समय ग्राम धेहरी में उक्त भूमि उसे कैसे प्राप्त हुई। हालांकि धारा 29 राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 अनुसार जागीरदार/बिस्वेदार का भूमि पर खुदकाश्त दर्ज होने पर ही उसे खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन दावे के तथ्यों तथा साक्ष्यों अनुसार धारा 19 (1) एए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वादी का इस प्रावधान अनुसार दिनांक 31–12–1969 को एवं इससे पूर्व भी राजस्व रिकॉर्ड में बतौर शिकमी दर्ज होना एवं उसकी काश्त का भी लगातार इन्द्राज होना बहक वादी घमण्डी महत्वपूर्ण साक्ष्य होकर यह उसका भूमि पर स्वामित्व के आधार को मजबूत करते हैं।

12– हमारा सुविचारित मत है कि जमाबंदी संवत् 2024–27 ही वाद साबित करने में एकमात्र निर्णायक दस्तावेज नहीं है बल्कि अन्य प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य भी वाद की ताईद में संगत साक्ष्य होकर ये घमण्डी के दावे के तथ्यों अनुसार उसकी भूमि के साथ लगातार काश्त मय हितबद्धता को साबित करते हैं तथा वह धारा 19 (1) एए के तहत विधिवत रूप से खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी बनता है। इस परिप्रेक्ष्य में अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि रतन को भूमि वादी घमण्डी को देने का अधिकार नहीं था, से वादी के आधार पर कोई विपरीत असर नहीं डालता है। प्रतिवादी पक्ष यह भी साबित नहीं कर सके हैं कि वक्त सैटलमेंट वादी घमण्डी का शिकमी अंकन किसी विधिवत आधार अथवा सक्षम निर्णय से कलमजन किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा दौराने दावा रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 8 द्वारा रेस्पोडेंट्स संख्या 9 से 12 को जरिए विक्रय पत्र भूमि विक्रय करना प्रभावशून्य होकर इससे क्रेतागणों को कोई अधिकार प्राप्त ना हो सकने का विनिश्चय विधिसम्मत है, जिससे अपीलान्ट्स के अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं है।

13– उपरोक्तानुसार पूर्ण विश्लेषण उपरांत हमारा सुविचारित निष्कर्ष है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में त्रुटि की गई। अतः

अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 17–04–2002 को अपास्त किया जाकर सहायक कलक्टर भरतपुर न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2001 को यथावत रखे जाने का निर्णय दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिवप्रसाद सिंह)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य